बिहार सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

03-06-2020

पटना दिनांक-

सं०-एम-4-02/2020....2916..../वि०, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संहिता बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**-(1) यह संहिता बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता, 2020 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   (3) यह तुरत प्रवृत होगी ।
2. **बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-349 में संशोधन** :-

(क) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 के उपनियम (2) (v) में प्रयुक्त शब्द "तीन क्रमिक वित्तीय वर्ष" को "पांच क्रमिक वित्तीय वर्ष" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(ख) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 के उपनियम (2) (vii) के बाद निम्नलिखित उपनियम (2) (viii) जोड़ा जायेगा :-

"दिनांक 01.04.2019 के पूर्व खोले गये सभी पी0एल0/पी0डी0 खाते को CFMS व्यवस्था के अंतर्गत संधारण की तिथि default रूप से 01.04.2019 माना जायेगा एवं पी0एल0/पी0डी0 खाते में जमा अप्रयुक्त राशि पाँच क्रमिक वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो जायेगी ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-02/2020....2916..../वि० पटना, दिनांक..03-06-20

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

सचिव(व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-02/2020....2916..../वि० पटना, दिनांक..03-06-2

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव(व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-02/2020....2916..../वि० पटना, दिनांक..03-06-2

प्रतिलिपि:- ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव(व्यय)

\Sec-4\S.No.-80-02-2020